



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 06.07.2026**

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय ए०डी०जे०(प्रथम) कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1- वफील कबूतरा पुत्र सलेट सिंह निवासी अटाई खेड़ा ग्राम वैरच थाना भाण्डेर जनपद दतिया म०प्र० के विरुद्ध को पर मु०अ०सं० 180/21 धारा 272/307/332 भादवि एवं 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री हृदेश पाण्डेय  
अभियोजन अधिकारी



श्री परमहंस तिवारी  
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० महेन्द्र प्रताप सिंह  
कोर्ट मुहर्रिर



का० हृदेश कुमार  
कोर्ट पैरोकार